तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

आदेश

16.1.25

विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री जसराज जयपाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 1991/2006 उनवान गोपालपुरी बनाम हुक्माराम एवं प्रकरण संख्या 2252/2007 सरकार बनाम हुक्माराम को समेकित (consolidate) करने बाबत दिनांक 23.7.24 को प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त दोनों ही प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 216/2003 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये है। अतः दोनों प्रकरण को समेकित (consolidate) किया जाकर एक साथ सुनवाई की जावे। प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 ने कहा कि दोनों ही प्रकरण भिन्न-भिन्न प्रकृति व भिन्न-भिन्न विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किये गये है। जिनको इस स्तर पर समेकित (consolidate) नहीं किया जा सकता है। चूंकि रेफरेन्स प्रकरण की सुनवाई एकलपीठ द्वारा की जावेगी जबकि अपील की सुनवाई खण्डपीठ द्वारा की जावेगी।

पत्रावली व प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 2252/2007 सरकार बनाम हुक्माराम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया गया है जबकि अन्य प्रकरण संख्या 1991/2006 उनवान गोपालपुरी बनाम हुक्माराम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया है। अतः दोनों ही प्रकरण भिन्न भिन्न प्रकृति, विषय वस्तु व भिन्न भिन्न विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किये गये है। जिनको समेकित (consolidate) किया जाना विधिसम्मत व न्यायसगंत नहीं पाया जाता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन यह स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 31.01.2024 के साथ में अभिभाषक अपीलांट ने अपील को विड्रा करने हेतु सहमति व्यक्त की है। जिस पर आदिनांक तक कोई निर्णय/आदेश पीठ द्वारा नहीं दिया गया है। अतः अभिभाषक अपीलांट के उक्त निवेदन पर संज्ञान लेते हुये अपील जरिये विड्रा खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16.1.25 (कमला अलारिया) सदस्य (आर0डी0मीणा) 16/1/25 सदस्य	